E-Kay

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांक : प.1(9)साप्र / ग्रुप–5 / 2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 08.08.2016

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.8.2016 के अधिक्रमण में बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड की राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को समिति के अतिआवश्यक कार्यवश व जिलों की बाल कल्याण समिति के कामों की जॉच के लिये जिलों का प्रवास करना पडता है । अतः समिति द्वारा अपने कार्य के निष्पादन के लिये एक बार में 7 दिवस तथा माह विशेष में 10 दिवस तक राज्य में स्थित विश्राम भवनों में आवास / भोजनादि की सुविधा सर्किट हाउस नियमों में शिथिलन करते हुए राजकीय केटेगरी अ–i की दर पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान जाती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक,मा0मंत्री को उनके आई.डी.क्रमांक एफ. 333 दिनांक 03.8.2016 के क्रम में ।
2. निजी सहायक, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 20 / 198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर ।
3. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान ।
4. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

ROOM NO. 1124, MAIN BUILDING, GOVT. SECRETARIAT, JAIPUR-302005
DEPUTY SECRETARY TEL NO (O) : 0141-2227874
A.S (M) :9829075214 (F) 0141-5116626/2227958
WEBSITE – www.gad.rajasthan.gov.in email –

निदेशालय बाल अधिकारिता
3900
11/8/16
राजस्थान जयपुर

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।

क्रमांक : एफ 14( )बा.अ.वि./कि.न्या.अ/रा.स्त.च.स. मानदेय/014/28203 जयपुर, दिनांक : 22/8/16

आदेश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2011 के नियम 91 के तहत् प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान के आदेश कमांक प:6 (47) प्र.सं./अनु–3/2015 दिनांक 28.07.2015 द्वारा राज्य स्तरीय चयन समिति गठित की गई हैं।

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठकों एवं इस प्रयोजन देय बैठक एवं यात्रा भत्ता निर्धारण हेतु निम्नानुसार "राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक तथा देय बैठक एवं यात्रा भत्ता नियम, 2016" लागू किये जाते है:–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार::

1) ये "राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक तथा देय बैठक एवं यात्रा भत्ता नियम, 2016" कहलायेंगे।

2) यह नियम राज्य स्तरीय चयन समिति के गठन के राज पत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से ही प्रभावी होंगे।

2. समिति की बैठकें::

1) राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा एक माह में अधिकतम 15 बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।

2) चयन समिति द्वारा आयोजित बैठक कोरम पूर्ण होने की स्थिति में ही मान्य होगी।

3. बैठक भत्ता::

1) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चयन समिति की बैठकों में समिति के अध्यक्ष के भाग लेने के पेटे बैठक भत्ते के रूप में 4,000 रूपये प्रति बैठक दिया जायेगा।

2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चयन समिति की बैठकों में समिति के गैर सरकारी सदस्यों के बैठकों में भाग लेने के पेटे बैठक भत्ते के रूप में 3,000 रूपये प्रति बैठक दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

3) राज्य सरकार के अनुरोध पर चयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष /सदस्यों के विरुद्ध शिकायत की जाँच के लिए की गई यात्रा बैठक के रूप में मान्य होगी तथा निर्धारित बैठक भत्ता देय होगा।

4) चयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को समिति की बैठकों मे कम से कम 6 घण्टे अथवा आवश्यकतानुसार उपस्थित रहना आवश्यक हैं।

5) चयन समिति के राजकीय सदस्यों को कोई बैठक भत्ता देय नहीं होगा।

4. यात्रा भत्ता::

1) चयन समिति के अध्यक्ष को समिति की बैठकों में भाग लेने के पेटे की गई यात्रा के यात्रा भत्ते के रूप में हवाई–यात्रा (एक्जीक्यूटिव क्लास) अथवा प्रथम श्रेणी वातानुकूलित रेलवे किराये का पुर्नभरण किया जायेगा।

2) चयन समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के पेटे की गई यात्रा के यात्रा भत्ते के रूप में हवाई–यात्रा (इकोनोमी क्लास) अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेलवे किराये का पुर्नभरण किया जायेगा।

3) राज्य सरकार के अनुरोध पर चयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा की गई यात्रा के पेटे निर्धारित भत्ता देय होगा।

4) चयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को यात्रा भत्ते की राशि के पुर्नभरण हेतु आरक्षित टिकिट की मूल प्रतियां बाल अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

5. स्थानीय यात्रा भत्ता::

1) चयन समिति की बैठकों में भाग लेने के पेटे की गई स्थानीय यात्रा के यात्रा भत्ते के रूप में अध्यक्ष हेतु अधिकतम 1,000 रूपये प्रति बैठक तथा गैर सरकारी सदस्यगण हेतु अधिकतम 600 रूपये प्रति बैठक राशि देय होगी।

2) चयन समिति की बैठकों में भाग लेने के पेटे की गई स्थानीय यात्रा के यात्रा भत्ते की राशि के पुर्नभरण हेतु आरक्षित टिकिट/बिल की प्रति उपलब्ध कराई जायेगी, इसके अभाव मे स्वयं प्रमाणित रसीद प्रस्तुत की जायेगी।

3) राज्य सरकार के अनुरोध पर चयन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा की गई स्थानीय यात्रा के पेटे निर्धारित भत्ता देय होगा।

6. ठहरने की व्यवस्था::

Scanned by CamScanner

1) राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर चयन समिति द्वारा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य व किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिए आयोजित बैठक में भाग लेने, इनके संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए यात्रा करने पर, समिति के अध्यक्ष एवं समस्त गैर सरकारी सदस्यों को सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक प:1 (9) साप्र/ग्रुप–5/2014 पार्ट दिनांक 08.08.2016 के अनुसार सर्किट हाउस/विश्राम भवन में ठहरने की अनुमति होगी।(आदेश की प्रति परिशिष्ठ–अ पर अवलोकनीय है)

2) सर्किट हाउस/विश्राम भवन में ठहरने के पेटे हुए व्यय का भुगतान संबंधित अध्यक्ष व सदस्य द्वारा सीधे ही संबंधित प्रबंधक, सर्किट हाउस/विश्राम भवन को किया जायेगा।

7. <u>नियम संचालन एवं पर्यवेक्षण::</u>

1) इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए बाल अधिकारिता विभाग, प्रशासनिक विभाग होगा।

2) चयन समिति के अध्यक्ष अथवा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा बैठक भत्ते एवं यात्रा भत्ते के पुर्नभरण हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन/बिल की जॉच उपरान्त बाल अधिकारिता विभाग द्वारा एक माह के अन्दर चयन समिति के अध्यक्ष अथवा संबंधित गैर सरकारी सदस्यों को राशि जारी की जायेगी।

3) बाल अधिकारिता विभाग द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष अथवा संबंधित गैर सरकारी सदस्यों को राशि का भुगतान संबंधित के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बचत खाते के माध्यम से किया जायेगा।

8. <u>विशिष्ट::</u>

1) राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन "राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक तथा देय बैठक एवं यात्रा भत्ता नियम, 2016" के प्रावधानों में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

2) राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक तथा देय बैठक एवं यात्रा भत्ता नियम, 2016 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई/बाधा हो तो उनको दूर करने, नियम के किसी बिन्दु की व्याख्या/शिथिलन, किसी भी विवाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

यह आदेश वित्त विभाग, राजस्थान की आई.डी. संख्या 101503918 दिनांक 19.10.2015 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एन.एल.मीना)
आयुक्त एवं शासन विशिष्ट सचिव

Scanned by CamScanner